

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2015/ आषाढ़ 4, 1937

No. 412]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2015/ASHADHA 4, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 26 जून 2015

सा.का.नि. 515(अ).—भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 20.3.2015, के पृष्ठ 1 से 15 तक प्रकाशित भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि 213(अ) तारीख 20.3.2015 में-

- (i) परिभाषाओं से संबन्धित खंड 2 (ठ) की प्रथम पंक्ति में “नगर पालिका” के बाद “,” लगाएँ।
- (ii) पृष्ठ 3 पर खंड 3 (11) की पहली पंक्ति में “स्थानीय प्राधिकारी” के स्थान पर “स्थानीय प्राधिकारी का प्रमुख” पढ़ें;
- (iii) पृष्ठ 3 पर खंड 3 (14) की अंतिम पंक्ति में “आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन” के स्थान पर “आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण कमी” पढ़ें;
- (iv) पृष्ठ 4 पर खंड 4(11) की अंतिम पंक्ति में “जाएँ” के बाद “/” हटाएँ;
- (v) पृष्ठ 5 पर खंड 6(3) की अंतिम पंक्ति में “अनुसार” के बाद “निगम से” जोड़ा जाए;
- (vi) पृष्ठ 5 पर खंड 7(1) की पहली पंक्ति में “राज्य” के स्थान पर “राज्य” पढ़ें;
- (vii) पृष्ठ 6 पर खंड 7(11) की पहली पंक्ति में “मध्यवर्ती गोदाम से निगम के गोदाम” के स्थान पर “निगम के गोदाम से मध्यवर्ती गोदाम” पढ़ें;
- (viii) पृष्ठ 6 पर खंड 9(7) की अंतिम पंक्ति में “प्रचालकों” के स्थान पर “प्रचालन” पढ़ें;
- (ix) पृष्ठ 7 पर खंड 9(9) की अंतिम पंक्ति में “की उचित दर दुकान स्वामियों” के स्थान पर “के प्रचालन” पढ़ें;
- (x) पृष्ठ 7 पर खंड 10(4)(iii) की अंतिम पंक्ति में “विहित प्रारूप” के बाद “में” जोड़ा जाए;

- (xi) पृष्ठ 7 पर खंड 10(4)(vii) में “विहित समय के अनुसार उचित दर दुकान के खोलने और बंद करने को सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा” के स्थान पर “सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित विहित समय के अनुसार उचित दर दुकान को खोलना और बंद करना” पढ़ें;
- (xii) पृष्ठ 8 पर खंड 11(12) की प्रथम पंक्ति में “शिकायतों के” बाद “निवारण के” जोड़ा जाए;
- (xiii) पृष्ठ 9 पर खंड 14(3) की प्रथम पंक्ति में “लेखाओं या स्टॉक की ऐसी लेखा बहियों” के स्थान पर “स्टॉक की या ऐसी लेखा बहियों” पढ़ें;
- (xiv) पृष्ठ 11 उपाबंध-1 की सारणी में क्रम संख्या 20 में “नगालैंड” के स्थान पर “नागालैंड” पढ़ें;
- (xv) पृष्ठ 11 और 12 में उपाबंध 2 की सारणी 1 और 2 में चौथे, पांचवें तथा छठे स्तंभ में “जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या” के स्थान पर “जारी किए गए नए राशन कार्डों की संख्या” पढ़ें;
- (xvi) पृष्ठ 12 उपाबंध 3 में सारणी के अंत में पृष्ठ 13 पर अनुच्छेद की पहली पंक्ति में “राज्य नागरिक आपूर्ति” के स्थान पर “राज्य नागरिक आपूर्ति निगम” पढ़ें;
- (xvii) पृष्ठ 12 उपाबंध 3 में सारणी के अंत में पृष्ठ 13 पर अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति में “किसी राज्य” के स्थान पर “किसी जिले” पढ़ें;
- (xviii) पृष्ठ 13 में उपाबंध 4 में सारणी के शीर्षक में पहली पंक्ति के अंत में “वितरण का उपयोग” के स्थान पर “वितरण का वार्षिक उपयोग” पढ़ें;
- (xix) पृष्ठ 14 में उपाबंध 5 की सारणी (ग) के शीर्षक के आरंभ में “उचित दर दुकान के स्वामियों की संख्या” के स्थान पर “उचित दर दुकान के स्वामियों का विवरण” पढ़ें;
- (xx) पृष्ठ 15 में उपाबंध 6 की सारणी के पहले स्तंभ में “तहसील स्तर” और “जिला स्तर” को एक दूसरे की जगह पढ़ें।

[फा. सं. 9(4)/2012-पीडी. 2]

दीपक कुमार, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

Department of Food and Public Distribution

New Delhi, the 26th June, 2015

CORRIGENDUM

G.S.R. 515(E).—In the notification of Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution) No. GSR 213(E), dated the 20th March, 2015 published at pages 16-28 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 sub-section (i) dated the 20th March, 2015,-

- (i) In Annex-II, (A),- in table I for “Anny”, read “Anna”;
(B) in table II, for “Anny”, read “Anna”;
- (ii) In Annex-VI, in the table, for “/T”, read “/UT”.

[F. No. 9(4)/2012-PD.II]

DEEPAK KUMAR, Jt. Secy.